आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 131/12–13
प्रभास चन्द्र महाराज वनाम् काशी प्रसाद एवं अन्य
आदेश

28-09-13 आवेदक प्रभास चन्द्र महाराज पिता स्व० रामचन्द्र महाराज साकिन मुरादपुर हुजरा थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर आवेदक के अधिकार का प्रख्यापन करने का अनुरोध किया है। साथ ही विवादित भूमि का नापी कराकर विपक्षीगण द्वारा अवैध कब्जा से मुक्त कराने का भी अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम मुरादपुर हुजरा थाना वो जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
31	451	22 डी०	उ०–नीज द०–विपक्षी पू०–नीज प०– नीज
	460	06 डी०	उ०–नीज द०–विपक्षीगण पू०–नीज प०–रोड़

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु सर्वप्रथम डाक से नोटिस भेजा गया। पुनः अनुसेवी के माध्यम से नोटिस भेजा गया। सिर्फ विपक्षी संख्या 01 काशी प्रसाद उपस्थित हुए। शेष विपक्षीगण जुबैर हुसैन,मोहन प्रसाद केशरी एवं शंभू प्रसाद केशरी उपस्थित नही हुए। उपस्थित विपक्षी काशी प्रसाद के द्वारा लिखित दिया गया कि उन्हें विवादित भूमि से कोई सरोकर नही है। विवादित जमीन का नापी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त से कराया गया। नापी प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नापी प्रतिवेदन पर सुनवाई की गई जिसमें भी विपक्षीगण उपस्थित नही हुए और नापी प्रतिवेदन संपुष्ट कर वाद को आदेश पर रखा गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित जमीन आवेदक की खतियानी भूमि है। खतियान आवेदक के दादा रामेश्वर सिंह वो उनके भाई परमेश्वर सिंह 03 हिस्सा वो हरी शरण पाण्डेय वल्द विश्वनाथ पाण्डेय 01 हिस्सा साकिन देह दर्ज है।

(2) हरिशरण पाण्डेय ,आवेदक के दादा के चचेरे भाई थे जो नावल्द थे। परमेश्वर सिंह भी नावल्द थे एवं हरिशरण पाण्डेय के मृत्यु के बाद आवेदक के दादा रामेश्वर सिंह उक्त भूमि पर दखल काबिज हुए।

(3) आवेदक के दादा रामेश्वर सिंह के मृत्यु के बाद आवेदक के पिता रामचंद्र सिंह उक्त भूमि पर दखल कब्जा में आये एवं रामचंद्र सिंह के मृत्यु के बाद आवेदक दखल कब्जा में आये।

(4) उक्त भूमि के कुछ हिस्सा में आवेदक का मकान बना हुआ है जिसमें वे सपरिवार

रहते है और कुछ अंश परती है।

(5) आवेदक का मकान मिल जुमले प्लॉट के उतर भाग में बना हुआ है एवं मकान के दक्षिण प्लॉट का कुछ अंश छोड़ा हुआ है।

(6) विपक्षीगण आवेदक के प्लॉट के दक्षिण कुछ भूमि दूसरे खाता एवं प्लॉट में खरीद किये हैं एवं आवेदक के प्लॉट में उतर बढ़कर भूमि अवैध बेदखली कर अतिक्रमित किये हुए है।

(7) आवेदक अपने भूमि का पैमाईश प्राइवेट अमीन से करा चुके है। अमीन द्वारा पैमाईश करने पर आवेदक के प्लॉट का कुछ अंश विपक्षीगण के अवैध कब्जा में पाया गया परन्तु विपक्षीगण द्वारा इस तथ्य को मानने से इनकार किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोषों को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने अपने नापी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि:–

(1) 165 कड़ी लम्बा (पूरब से पश्चिम) × 10 कड़ी चौड़ा, (उतर से दक्षिण) = 1650 वर्गकड़ी प्लॉट नं० 460 का विपक्षी जुबैर मियॉ के द्वारा अवैध कब्जा में पाया गया।

(2) विपक्षी मोहन केशरी के मकान के सामने उतर 20 कड़ी लम्बा (पूरब से पश्चिम) × 10 कड़ी चौड़ा (उतर से दक्षिण) = 200 वर्गकड़ी प्लॉट नं० 451 का अंश पाया जो परती है।

(3) विपक्षी शम्भू केशरी के परती खण्ड के सामने उतर 20 कड़ी लम्बा (पूरब से पश्चिम) × 10 कड़ी चौड़ा (उतर से दक्षिण) = 200 वर्गकड़ी प्लॉट नं० 451 का अंश पाया जो परती खण्ड है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्राधिकार विपक्षीगण को आवेदक की उपरोक्त अवैध कब्जा वाली भूमि को एक माह के अंदर मुक्त कर आवेदक को कब्जा सौपने का आदेश देती है। एक माह के अंदर अवैध कब्जा को नही मुक्त करने की स्थिति में प्राधिकार अंचल अधिकारी,अरवल को आवेदक की उपरोक्त बेकब्जा वाली भूमि को विपक्षीगण से मुक्त कराकर आवेदक को कब्जा सौपने की आदेश देती है।

लेखापित एवं संशोधित

28.09

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

28.09

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।